सायबर पंजीयन शुरू करने वाला मप्र पहला राज्य

सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जनकल्याण को प्रोत्साहन दे रही है.

पंजीयन विभाग के सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है. संपदा-1.0 और संपदा 2.0 के बाद प्रदेश में सायबर पंजीयन की प्रक्रिया का आरंभ होना तकनीक आधारित सुशासन की नई शुरुआत है. मप्र तेजी से बदल रहा है. मप्र भारत का पहला राज्य है,

जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोन, मुख्तयारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर आफ अटार्नी, पार्टनरशिप डीड जैसी 75 से अधिक सेवाओं के लिए सायबर पंजीयन प्रारंभ किया है. राज्य सरकार के इस नवाचार से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है. यह नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारदर्शिता के मामले में महत्वपूर्ण होगा.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को पंजीयन भवन में सायबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद ये विचार व्यक्त किए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे होंगे. हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अंतरण के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो केवायसी सहित सभी कार्य होंगे, इससे धन और समय दोनों की बचत होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 55 जिलों में सायबर तहसील परियोजना को लागू किया है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

कार्यक्रम के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है. बजट का अभिभाषण भविष्य का आइना होता है. सत्र में बजट पर चर्चा होती है. यहां यदि बजट अच्छा है तो इसे अच्छा बताओ. यदि बजट में कोई कमजोरी है तो इसकी कमी बताओ. लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस 'नाच न जाने आंगन टेढा जैसा काम' करती है. हम उम्मीद करते है कि प्रदेश के बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे. सीएम ने कहा कि वंदे मातरम् के छह छंदों को सत्र के पहले गाया गया. हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा करने का मौका मिला. देश भक्तों ने वंदे मातरम् से ही आजादी की अलख जगाई थी.

वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करने पर भी राज्य निर्वाचन आयोग जरूरी होंगे

- चुनाव आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा
- वन नेशन वन इलेक्शन का ड्राफ्ट जरूर मंजूर होगा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 फरवरी. बीएलओ से लेकर चीफ इलेक्शन ऑफिसर तक सभी इलेक्शन कमीशन हैं. निर्वाचन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ.पी. रावत ने यह बात सोमवार को प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह में कही. रावत ने वन नेशन-वन इलेक्शन में स्थानीय निर्वाचन की भूमिका, विषय पर बोलते हुए कहा कि इस पर चर्चा 2015 में शुरू हुई थी. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें सहमति व्यक्त की गयी थी. रावत ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू करने पर भी राज्य निर्वाचन आयोग जरूरी होंगे. पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव इनके माध्यम ही होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि पूरी उम्मीद है कि वन नेशन-वन इलेक्शन का ड्राफ्ट जरूर मंजूर होगा. रावत ने माडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी विस्तार से चर्चा की.

चुनाव, चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा का हो या पंचायत का : आर. परशुराम पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त आर. परशुराम ने स्थानीय निर्वाचन में सुधार की चुनौती, विषय पर कहा कि हर वोट-हर निकाय महत्वपूर्ण है. परशुराम ने कहा कि चुनाव, चुनाव होता है, चाहे वह लोकसभा का हो या पंचायत का. उन्होंने कहा कि निर्वाचन में प्रिपेयर, प्रिपेयर और प्रिपेयर के फार्मूले का हमेशा पालन करना चाहिए.

Name Change Notice

I, SWETA YASHWANT SINGH 501/B1 CoralwoodHoshangabad Road, Misrod, Bhopal, MP. I declare that my old name was " SWETASINGH"(old name) now has to changed "SWETA YASHWANT SINGH" (New name). Henceforth, I Shall be Known as "SWETA YASHWANT SINGH" , In future for all purpose including all the official documentations.

NAME CHANGE

Be it known to all through this Public Notice that my name was SHAILENDRA PATLE S/o **SHAMBHU PRASAD PATLE now changed to** SHAILENDRA KUMAR PATLE **S/o SHAMBHU PRASAD PATLE,** presently residing at 301, Tower-6-A, Sagar Life Style Tower, Misrod , Bhopal (M.P.). I have changed my name & in future my name will be known as SHAILENDRA KUMAR PATLE **S/o SHAMBHU PRASAD PATLE.**

(SHAILENDRA KUMAR PATLE)
Mob. No. 7742831880

नाम परिवर्तन

TAJWAR JAVED KHAN W/O JAVED KHAN आयु वयस्क निवासी- म.नं. 57-B, लाला लाजपत राय कॉलोनी बाग दिलकुशा भोपाल, मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम TAJWAR KHAN दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम TAJWAR JAVED KHAN हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाएगा. आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदार स्वयं मैं रहूँगी.

नाम परिवर्तन

RAZIA SULTAN W/O MOHAMMED USMAN KHAN आयु वयस्क निवासी- म नं.- A-1 बादशाह अपार्टमेंट कोहेफिजा भोपाल, मेरे पासपोर्ट में पहले मेरा नाम RAZIA SULTANA दर्ज था, जो कि बदल कर मेरा नाम RAZIA SULTAN हो गया है. अब मेरे दस्तावेज में मेरा नाम यही है. अब इसी नाम से जाना व पहचाना जायगा. आगे भविष्य में इसको लेकर कोई वाद-विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदार स्वयं मैं रहूँगी.

सहकारिता से समृद्धि तक : मध्यप्रदेश की दुग्ध क्रांति

भोपाल, 16 फरवरी. राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान निरंतर सुदृढ़ हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन एवं दुग्ध क्षेत्र ग्रामीण आय वृद्धि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरे हैं. विशेष रूप से दुग्ध सहकारिता तंत्र ने लघु एवं सीमांत कृषकों तथा महिलाओं को नियमित आय का भरोसेमंद माध्यम उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया है. इसी व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2025 के दौरान मध्यप्रदेश के दुग्ध क्षेत्र में प्रारंभ हुए संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधार राज्य की ग्रामीण समृद्धि को नई गति प्रदान करने वाले निर्णायक कदम सिद्ध हुए हैं.

मध्यप्रदेश के हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए दुग्ध व्यवसाय केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि दैनिक सुरक्षा, सम्मान और आशा का आधार है. वर्ष 2025 में इस जीवनरेखा को एक नई शक्ति मिली, जब मध्यप्रदेश शासन ने सहकारी दुग्ध क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार की पहल की, जिससे एक व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसका प्रभाव अब गांवों से लेकर बाजारों तक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

07 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश शासन, एमपीसीडीएफ संबद्ध दुग्ध संघों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य सहयोग समझौते को स्वीकृति प्रदान की. इस समझौते पर 13 अप्रैल 2025 को भोपाल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में औपचारिक हस्ताक्षर किए गए. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अनुभवी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से राज्य की दुग्ध प्रणाली में विशेषज्ञतापूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का समावेश सुनिश्चित हुआ.

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या एक वर्ष में 5,706 से बढ़कर 6,961 हो गई. कुल 1,241 नई समितियों का गठन किया गया तथा 635 निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित किया गया, जिससे अधिक संख्या में लघु एवं सीमांत किसान-विशेषकर महिलाएँ-सहकारी ढांचे से जुड़ीं. दुग्ध क्रय मूल्य में 2.50 से 18.50 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि की गई, जिसका प्रत्यक्ष लाभ उत्पादकों को मिला. साथ ही, 10 दिवस का सुनिश्चित भुगतान चक्र लागू किया गया, जिससे किसानों को समयबद्ध और सुनिश्चित भुगतान प्राप्त होने लगा. वित्तीय दृष्टि से इस पहल का प्रभाव उल्लेखनीय रहा, जहाँ वर्ष 2025-26 (नवंबर तक) के दौरान दुग्ध उत्पादकों को 1993.73 करोड़ का भुगतान किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है. औसत दुग्ध संग्रहण 8.52 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचा, जो निरंतर वृद्धि और किसानों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है. इसी के साथ अवसंरचना का आधुनिकीकरण भी किया गया, जिससे गुणवता और मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ किया जा सके. सभी दुग्ध संघों में मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी लागू की गई, जिससे उत्पादन में एकरूपता और हानि में कमी सुनिश्चित हुई. 11 अक्टूबर 2025 को इंदौर में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क पाउडर संयंत्र का लोकार्पण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा, जिसने प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करते हुए अधिक उत्पादन की स्थिति में अधिशेष दूध के सुव्यवस्थित प्रबंधन को सुनिश्चित किया.

मानसरोवर ग्रुप में महोत्सव का समापन

भोपाल,16 फरवरी, कोलार रोड स्थित मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आयोजित दो दिवसीय महाशिवरात्रि महापर्व का समापन हो गया. मानसरोवरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित इस उत्सव के दूसरे दिन विशाल भंडारे में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. अखंड रामायण पाठ, भजन और सुंदरकांड पाठ ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया. भंडारे का शुभारंभ मुख्य अतिथि हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति की उपस्थिति में मानसरोवर समूह की सीएमडी मंजुला तिवारी, सीईडी इंजी गौरव तिवारी और डायरेक्टर दिशा तिवारी द्वारा किया गया. अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहूति पर विशेष आरती का आयोजन किया गया.

एक लाख 67 हजार से अधिक हो सकती है प्रति व्यक्ति आय

- सदन में आज पेश होगा मप्र का आर्थिक सर्वेक्षण

कन्हैया लोधी

भोपाल, 16 फरवरी, मप्र का आर्थिक सर्वेक्षण मंगलवार को सदन में पेश होगा, बजट पेश करने से एक दिन पहले पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में मप्र की आर्थिक के साथ ही सामाजिक, स्वास्थ्य, महिला, युवा, किसान से लेकर गरीबों तक के बारे में प्रदेश की एक वर्ष की तस्वीर पेश होगी.

जिससे पता चलेगा कि मप्र ने विकास तेज विकास की दौड़ का फायदा सभी वर्गों को कितना और कैसे मिल रहा है. मिले संकेतों के मुताबिक जो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है, उसमें प्रति व्यक्ति आमदनी में बड़ी छलांग देखने मिल सकती है. बताया जा रहा है कि वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय एक लाख 67 हजार रुपए प्रति वर्ष के आंकड़े को पार कर सकती है.

वर्ष 2024-25 की अवधि में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी एक लाख 52 हजार 615 रुपए तक पहुंच गई थी.

> **मप्र की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान**
>
> मप्र की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 44.36 फीसदी है, हांलाकि पिछले वर्ष इसमें मामूली गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट इस बार थमने की संभावना जताई जा रही है. प्राथमिक क्षेत्र में फसलें, पशुधन, वानिी, मत्स्य और जलीय कृषि और खनन, उत्खनन शामिल है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस बार ये बढ़कर 45 फीसदी से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है. वर्ष 2024-25 में द्वितीयक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान में कमी आई थी, ये 19.36 फीसदी से घटकर 19.03 फीसदी हो गया था, लेकिन इस बार से गिरावट कब कम होने की संभावना है.

शराबी ऑटो चालक ने युवक को मारी टक्कर

मंडीदीप, 16 फरवरी. औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में सोमवार सुबह करीब 9:00 बजे काम पर जा रहे एक युवक को शराब के नशे में धुत ऑटो चालक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. जानकारी के अनुसार, विकास चौहान शीतल सिटी के निवासी हैं. सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकले थे. जब वे इंसुलेटर कंपनी के पास पहुंचे, तभी एक अनियंत्रित सवारी ऑटो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऑटो चालक अत्यधिक नशे की हालत में था और वाहन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था. विकास चौहान को एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है.

भोपाल में अग्निकांड : भौंरी के होटल में लगी आग

भोपाल, 16 फरवरी. राजधानी भोपाल के खजूरी सड़क इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. भौंरी स्थित एक होटल में अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. जिस समय आग लगी, होटल के भीतर 150 से अधिक लोग मौजूद थे, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए जेसीबी मशीन की मदद से होटल की दीवार गिराई और धुएं व लपटों के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है. भोपाल का खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच जब भौंरी स्थित एक होटल से काले धुएं का गुबार उठते देखा गया. आग इतनी तेजी से फैली कि होटल के मुख्य द्वारों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. होटल के भीतर 150 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे.

कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक/798/भू-अर्जन/2026 दिनांक 28/1/2026

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के ग्राम नजीराबाद के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है.

अत: भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि कार्यपालन यंत्री सुठालिया परियोजना जल संसाधन संभाग, ब्यावरा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति म.प्र. राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के पत्र क्र. 1111/SEIAA दिनांक 3/6/2021 द्वारा जारी की गई है. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए जाते समय विभाग द्वारा प्रस्तुत अंतिम ई.आई.ए./ई.एम.पी. प्रतिवेदन में भी सामाजिक समाघात निर्धारण अध्याय को सम्मिलित कराया गया था. तत्पश्चात पृथक से सामाजिक समाघात निर्धारण भी कराया जा चुका है.

अनुसूची-1

तहसील :- बैरसिया | जिला :- भोपाल

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम नजीराबाद

स. क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	सुठालिया सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम नजीराबाद की भूमि की आवश्यकता	9.844	1.898
	कुल योग	9.844	1.898

अनुसूची-2

स. क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	प्रभावित रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि का प्रकार
1.	शकुन बाई पुत्री रेवाराम हि. 1/9 भाग, भूरी बाई पुत्री रेवाराम हि. 1/9 भाग, भजवल पुत्र रेवाराम हि. 1/9 भाग, सोनू पुत्र रेवाराम हि. 1/9 भाग, सविता बाई पुत्री रेवाराम हि. 1/9 भाग, शंभू पुत्र रेवाराम हि. 1/9 भाग, राजेश पुत्र रेवाराम हि. 1/9 भाग, केशर बाई वेबा रेवाराम हि. 1/9 बाग, संतोष पुत्र रेवाराम हि. 1/9 भाग, जाति धोबी, पता- नजीराबाद, बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	11/2/3	0.613	0.123	कृषि
		कुल 1 किता	0.613	0.123	
2.	हरी सिंह पुत्र हरलाल, धापू बाई पत्नी हरी सिंह, जाति बलाई पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	11/2/4	0.613	0.245	कृषि
		कुल 1 किता	0.613	0.245	
3.	कस्तूरी बाई पत्नी करन सिंह हि. 1/2 भाग, करन सिंह पुत्र मान सिंह हि. 1/2 भाग जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	3/2/5	0.613	0.215	कृषि
		कुल 1 किता	0.613	0.215	
4.	मान सिंह पुत्र भंवरलाल जाति बसोढ पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि	3/2/4	0.613	0.245	कृषि
		कुल 1 किता	0.613	0.245	
5.	कालूराम पुत्र धन्नालाल शैतान बाई पत्नी कालूराम जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	3/2/3	0.613	0.123	कृषि
		कुल 1 किता	0.613	0.123	
6.	रामचरण हल्कू पिता गंगाराम जाति देशवाली पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	2	0.328	0.098	कृषि
		कुल 1 किता	0.328	0.098	
7.	जगन्नाथ पुत्र बट्टूलाल जाति चमार पता सा. देह शासकीय संस्था	3/1	0.837	0.167	कृषि
		कुल 1 किता	0.837	0.167	
8.	नन्दा पुत्र मुकन्दा जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	3/2/2	0.607	0.182	कृषि
		कुल 1 किता	0.607	0.182	
9.	भंवरी बाई वेबा दयाराम फूल सिंह जगन्नाथ जालम सिह गुड्डू भूली बाई गुड्डी बाई पुत्र/पुत्री दयाराम जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	3/2/1	0.607	0.243	कृषि
		कुल 1 किता	0.607	0.243	
10.	प्रेम सिंह पुत्र सुखराम जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	5/1/1	0.803	0.080	कृषि
		कुल 1 किता	0.803	0.080	
11.	पर्वत सिंह पुत्र धन्नालाल जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि	5/2/1	1.214	0.036	कृषि
		कुल 1 किता	1.214	0.036	
12.	रामचरण पुत्र गंगाराम हि. 1/2 भाग, रमको बाई पत्नी रामचरण हि. 1/2 भाग जाति चमार पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	7/1	0.251	0.013	कृषि
		कुल 1 किता	0.251	0.013	
13.	ममता बाई वेबा कृष्णमोहन अंकित सक्सेना सत्यम सक्सेना पुत्रगण कृष्णमोहन पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी	8/1	1.066	0.021	कृषि
		कुल 1 किता	1.066	0.021	
14.	अंकित पुत्र कृष्णमोहन जाति कायस्थ पता नजीराबाद बैरसिया भोपाल म.प्र.	8/2	1.066	0.107	कृषि
		कुल 1 किता	1.066	0.107	
	महायोग	कुल 14 किता	9.844	1.898	

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

नायब तहसीलदार, वृत्त-1 नजीराबाद, तहसील बैरसिया | अनुविभागीय अधिकारी, सुठालिया परियोजना, उपसंभाग क्र. 4, सुठालिया जिला राजगढ़ म.प्र. | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया जिला भोपाल | (कौशलेन्द्र विक्रम सिंह), कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व विभाग जिला भोपाल

G25872/25

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com. सीआईएन संख्या: U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित. एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बकाया राशि और अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित किया गया है. www.motilaloswalhf.com" पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 25-3-2026/सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिमा राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1.	LAN: LXGUN00417-180057955 शाखा : गुना ऋणकर्ता : दीपेश एस शर्मा सह-ऋणकर्ता : शैल कुमारी शर्मा	24-06-2019 के लिए रुपये 392092/- (रु. तीन लाख बानवे हजार बानवे मात्र)	पीएच नंबर 24, तकनेरी, अशोक नगर, मध्य प्रदेश - 473331	**आरक्षित मूल्य :** रु. 623413/- (रु. छह लाख तेईस हजार चार सौ तेरह मात्र) **ईएमडी :** रु. 62341/- (रु. बांसठ हजार तीन सौ इकतालीस मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 24-03-2026
2.	**LAN: LXGUN00316-170041593** **शाखा :** गुना **ऋणकर्ता :** विशाल किशोर कुमार सोमानी **सह-ऋणकर्ता :** कृष्णा सोमानी	11-10-2025 के लिए रुपये 609744/- (रु. छह लाख नौ हजार सात सौ चवालीस मात्र)	पीएच नंबर 4, सीरियल नंबर 626/2 मिन1, वार्ड नंबर 5, क्षेत्रफल 0.512 हेक्टेयर/मिनट, हनुमान मंदिर के पास कुंभराज 473001, गुना, मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य :** रु. 652394/- (रु. छह लाख बावन हज़ार तीन सौ चौरानवे मात्र) **ईएमडी :** रुपये 65239/- (रु. पैंसठ हजार दो सौ उन्चालीस रुपये मात्र) **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि :** 24-03-2026

नियम एवं शर्तें :- 1. नीलामी बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी. बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी एवं सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रपत्र के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल- https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और **मनीष कुमार ओमप्रकाश यादव 7045567028, प्रशान्त कुमार पांडेय- 8819922304, रविन्द्र कुमार सोनी- 8976776758, योगेश राजेश मधौरिया- 9630866533, भूपेन्द्र खिची- 9372704781, मुकेश धाकड़ 9372704710** से संपर्क कर सकते हैं. विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं- +91 83709 69696, ई-मेल आईडी- contact@auctionbazaar.com.

एसडी/-
स्थान : मध्य प्रदेश | प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
दिनांक : 16.2.2026 | अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. | (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुंबई-400025. ईमेल: hfquery@motilaloaswal.com. सीआईएन संख्या: U65923MH2013PLC248741

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के साथ पठित. एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्ति को 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर 'ऑनलाइन ई-नीलामी' के माध्यम से बेचा जाएगा. बकाया राशि और अतिरिक्त ब्याज, शुल्क और लागत आदि की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित किया गया है. www.motilaloswalhf.com" पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार :-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 10-3-2026/सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक (प्रत्येक 15 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

क्र.	उधारकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता	मांग नोटिस तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य, अग्रिमा राशि और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि
1.	**लैन: LXGUN00116-170023205** **शाखा :** गुना **ऋणकर्ता :** किशन लाल धन्नालाल अहिरवार **सह-ऋणकर्ता :** धर्मेंद्र कुमार धन्नालाल अहिरवार	20-06-2025 के लिए रु. 1022289/- (रु. दस लाख बाइस हजार दो सौ नवासी मात्र)	सर्वेक्षण संख्या/- 518, वार्ड संख्या/- 02, 720 वर्ग फुट, पालीवाल कॉलोनी, सिरोंज, विदिशा, सिरोंज के पास, विदिशा, मध्य प्रदेश- 464228	**आरक्षित मूल्य :** रु. 1120663/- (रु. ग्यारह लाख बीस हजार छह सौ तिरेसठ मात्र) **ईएमडी :** रुपये 112066/- (रु. एक लाख बारह हजार छियासठ मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 09-03-2026
2.	**लैन: LXGUN00316-170047922** **शाखा :** गुना **ऋणकर्ता :** रवि रघुवंशी **सह-ऋणकर्ता :** प्रकाश सिंह रघुवंशी	24-10-2025 के लिए रु. 545538/- (रु. पांच लाख पैंतालीस हजार पांच सौ अड़तीस मात्र)	सर्वेक्षण संख्या 1426/4/गा/1/मिन 2 पी.एच. संख्या 22 वार्ड संख्या 2 शिव शक्ति नगर आरोन तहसील आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश 473101 के भाग पर	**आरक्षित मूल्य :** रुपये 400000/- (रु. चार लाख मात्र) **ईएमडी :** रु. 40000/- (रु. चालीस हजार मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 09-03-2026
3.	**लैन: LXSAG00316-170040644** **शाखा :** सागर **ऋणकर्ता :** मुकेशकुमार तुलसीराम कोरी **सह-ऋणकर्ता :** रजनी मुकेशकुमार कोरी	06-06-2023 के लिए रु. 537643/- (रु. पांच लाख सैंतीस हजार छह सौ तिरतालीस मात्र)	ख. संख्या- 413/1दा, 414/1दा, मकान संख्या -22/33, नंबर बी-579, वार्ड संख्या 14, राम वार्ड, गढ़कोटा, सागर, मध्य प्रदेश - 470229	**आरक्षित मूल्य :** रु. 665000/- (रु. छह लाख पैंसठ हजार मात्र) **ईएमडी :** रुपये 66500/- (रु. छियासठ हजार पांच सौ मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 09-03-2026
4.	**लैन: LXGUN00216-170044593** **शाखा :** गुना **ऋणकर्ता :** चंद्रभान लखन सिंह यादव **सह-ऋणकर्ता :** सरोजबाई लखन सिंह यादव	09-07-2025 के लिए रु. 256642/- (रु. दो लाख छप्पन हजार छह सौ बयालीस मात्र)	वार्ड संख्या 1, पीएच संख्या 28, सर्वे संख्या 550/9 अशोक नगर, अशोक नगर, अशोक नगर 473331, गुना, मध्य प्रदेश	**आरक्षित मूल्य :** रु. 304006.59 (रु. तीन लाख चार हज़ार छह और पैसा उनसठ मात्र) **ईएमडी :** रुपये 30401/- (रु. तीस हजार चार सौ एक मात्र) **ईएमडी जमा की अंतिम तिथि :** 09-03-2026

नियम एवं शर्तें :- 1. नीलामी बोली दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी. बोलीदाता बोली संबंधी जानकारी एवं सहायता, ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण और ऑनलाइन जमा किए जाने वाले बोली प्रपत्र के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स ARCA EMART PRIVATE LIMITED के वेब पोर्टल- https://www.auctionbazaar.com/ पर जा सकते हैं। इच्छुक खरीदार उसी पोर्टल पर नीलामी के नियम और शर्तें और प्रक्रिया देख सकते हैं और **प्रशान्त कुमार पांडेय- 8819922304, मनीष कुमार ओमप्रकाश यादव 7045567028, मुकेश धाकड़ 9372704710, योगेश राजेश मधौरिया- 9630866533, भूपेन्द्र खिची- 9372704781, रोहित सिंह चौहान- 9575511158, रविन्द्र कुमार सोनी- 8976776758, शशिकांत चतुर्वेदी - 9372704712** से संपर्क कर सकते हैं. विवरण उपरोक्त वेब पोर्टल पर उपलब्ध है और उनके केंद्रीकृत हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं- +91 83709 69696, ई-मेल आईडी- contact@auctionbazaar.com.

एसडी/-
स्थान : मध्य प्रदेश | प्राधिकृत अधिकारी, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड
दिनांक : 16.2.2026 | अनुवाद में त्रुटियां/विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा. | (पहले एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी)